

## अनुच्छेद 31C के अस्तित्व पर प्रश्न

### प्रलिस के लयः

[अनुच्छेद 31C, सर्वोच्च न्यायालय, केशवानंद भारती मामला \(1973\), मौलिक अधिकार](#)

### मेन्स के लयः

अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31 सेC संबध कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए [अनुच्छेद 31C](#) के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न का नरिकरण करने का फैसला कया है, ताका यह तय कया जा सके का सरकार नजी संपत्त का अधगिरहण और पुनरवतरण कर सकती है या नहीं ।

### अनुच्छेद 31C क्या है?

#### परचयः

- अनुच्छेद 31C सामाजिक लक्ष्यों को सुनश्चित करने के लयि बनाए गए कानूनों की रक्षा करता है:
  - अनुच्छेद 39B के अनुसार, "समुदाय के भौतिक संसाधनों" को सभी के लाभ के लयि आवंटित कया जाता है ।
  - अनुच्छेद 39C के अनुसार, धन और उत्पादन के साधन "सामान्य हानि" के लयि "केंद्रति" नहीं हैं ।

#### अनुच्छेद 31C का परचयः

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परणामस्वरूप आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, 1969), इसे 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संवधान में जोड़ा गया था ।
  - इस मामले में बैंकगि कंपनी (उपकरमों का अधगिरहण और हस्तांतरण) अधनियम, 1969 को प्रदान कयि गए मुआवजे की समस्याओं के कारण इसे न्यायालय द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दया गया था ।

#### अनुच्छेद 31C का उददेशयः

- अनुच्छेद 31C नदिशक तत्त्वों (अनुच्छेद 39B व 39C) को समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) अथवा अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों (अभवियक्ता की स्वतंत्रता, शांतपूरवक आंदोलन करने का अधिकार, आदि) द्वारा चुनौती दयि जाने पर संरक्षण प्रदान करता है ।

### अनुच्छेद 31C से जुड़ी कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ क्या हैं?

#### केशवानंद भारती मामला (1973):

- सर्वोच्च न्यायालय ने "["मूल ढाँचा सदिधांत"](#) की स्थापना करते हुए कहा है का संवधान के कुछ मौलिक तत्त्व संसद द्वारा संवधान संशोधन के प्रता प्रतरिर्क्षति हैं ।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के एक भाग को यह कहते हुए अमान्य कर दया का कसिी वशिषिट सरकारी नीतपर आधारति होने का दावा करने वाले कानूनों को उस नीत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वफिल रहने के लयि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।
- इससे न्यायालय के लयि अनुच्छेद 39(B) व 39(C) को आगे बढ़ाने के लयि पारति कानून की समीक्षा करना और यह आकलन करना संभव हो गया का कया उनके लक्ष्य वास्तव में इन धाराओं में बताए गए मूल्यों के साथ संरेखति हैं ।

#### संवधान (42) संशोधन अधनियम, (CAA) 1976 और मनिर्वा मलिस केस (1980):

- CAA, 1976 ने संवधान के अनुच्छेद 36-51 में उल्लखित राज्य नीत के सभी नरिदेशक तत्त्वों को शामिल करने के लयि अनुच्छेद 31C के सुरक्षात्मक दायरे को बढ़ा दया ।
  - CAA, 1976 के खंड (4) ने न्यायालयों को संवधान के कसिी भी संशोधन पर प्रश्न करने की उनकी शक्ता से वंचति कर दया ।
  - इसके अलावा, CAA, 1976 के खंड (5) ने संशोधन शक्तापर सभी सीमाओं को हटाने का प्रयास कया ।

- इसका उद्देश्य कुछ **मौलिक अधिकारों** के स्थान पर नीति-निदेशक सद्दिशांतों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना था, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिये।
- **मनिर्वा मलिस केस (1980)** के बाद के वधिक नरिणय में, सर्वोच्च न्यायालय ने 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के **खंड 4 और 5 को रद्द कर दिया**।
- इस **न्यायिक घोषणा** ने संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने के संसद के अधिकार की सीमाओं को रेखांकित किया।
- परणामस्वरूप, मनिर्वा मलिस मामले के उपरांत अनुच्छेद 31C की वैधता एवं प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न उठे।

## अनुच्छेद 31C के संबंध में क्या तर्क हैं?

- **स्वचालति पुनरुद्धार के वरिद्ध तर्क:**
  - मूल अनुच्छेद 31C को **42वें संशोधन में एक वसितारति संस्करण** द्वारा पूरी तरह से 'प्रतस्थापति' कर दिया गया था। अतः जब मनिर्वा मलिस मामले में यह नया संस्करण रद्द कर दिया गया, तो मूल संस्करण स्वचालति रूप से पुनर्जीवति नहीं हो सका।
  - यह तर्क उस वधिक सद्दिशांत पर आधारति है जो एक बार प्रतस्थापति होने के उपरांत, **मूल प्रावधान तब तक अस्तित्व में नहीं आता जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से बहाल नहीं किया जाता**।
- **पुनरुद्धार के सद्दिशांत के लिये तर्क:**
  - पुनरुद्धार के सद्दिशांत के आधार पर मूल **अनुच्छेद 31C** को स्वचालति रूप से पुनर्जीवति किया जाना चाहिये।
  - इस दृष्टिकोण को **राष्ट्रीय न्यायिक नयिकता आयोग** के नरिणय जैसे उदाहरणों से समर्थन मलित है, **जहाँ रद्द किये गए संशोधनों के कारण पछिले प्रावधानों को पुनर्जीवति किया गया था**, जसिमें सुझाव दिया गया था कयिदबाद के संशोधन अमान्य हो जाते हैं तो पूर्व-संशोधति अनुच्छेद 31 C को फरि से बहाल करना चाहिये।

## मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संघर्ष:

- **चंपकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य, 1951:**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि **मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सद्दिशांतों के बीच कसि भी टकराव की स्थति में मौलिक अधिकारों की स्थति प्रबल होगी**।
  - इसने घोषणा की कि **निदेशक सद्दिशांतों** को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये और **सहायक के रूप में चलना चाहिये**।
  - यह भी माना गया कि **मौलिक अधिकारों** को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर संशोधति किया जा सकता है।
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967:**
  - इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने घोषणा की कि निदेशक सद्दिशांतों के कार्यान्वयन के लिये भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  - यह **'शंकरि प्रसाद मामले'** में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के वपिरित था।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973:**
  - इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिया हुआ अपना नरिणय पलट दिया**। **इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद को कसि भी मौलिक अधिकार को सीमति करने या छीनने का अधिकार है**।
    - साथ ही, इसने संविधान की **'बुनयादी संरचना'** (या 'बुनयादी वशिषताएँ') का एक नया सद्दिशांत नरिधारति किया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि **अनुच्छेद 368 के अंतरगत संसद की घटक शक्ति**, संविधान की 'बुनयादी संरचना' को परिवर्तति नहीं कर सकती है।
- **मनिर्वा मलिस बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया, 1980:**
  - इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'भारतीय संविधान **मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सद्दिशांतों** के बीच संतुलन की आधारशला पर आधारति है।
  - संसद नीति निदेशक सद्दिशांतों को लागू करने के लिये मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, **जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को हानि नहीं पहुँचाता है**।

## अनुच्छेद 31, 31A, 31B और 31C:

- **परचिय:**
  - संविधान के भाग 3 में उल्लिखति 7 मौलिक अधिकारों में से **संपत्तिका अधिकार** एक था।
  - हालाँकि, संविधान लागू होने के समय से ही संपत्तिका मौलिक अधिकार सबसे अधिक वविदास्पद रहा।
  - **44वें संशोधन अधिनियम 1978** द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्तिका अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद 19 (1) (च) को समाप्त कर दिया गया और इसके लिये संविधान के भाग XII में नए अनुच्छेद 300 A के रूप में प्रावधान किया गया।
  - अनुच्छेद 31 ने कई **संवैधानिक संशोधनों** का नेतृत्व किया जैसे- **1, 4वें, 7वें, 25वें, 39वें, 40वें और 42वें संशोधन**।
    - **प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951** ने **अनुच्छेद 31A और 31B** को संविधान में सम्मलित किया।
    - **25वें संशोधन अधिनियम, 1971** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 31C** को शामिल किया गया था।
- **अनुच्छेद 31A:**
  - यह कानूनों की **पाँच श्रेणियों से व्यावृत्तति प्रदान करता है** और इन्हें **अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19** द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के **उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं** ठहराया जा सकता है।
  - यह राज्य द्वारा नजिी संपत्तिका अधगिरहण या मांग के मामले में **मुआवजे का गारंटीकृत अधिकार** भी प्रदान करता है।
  - इसमें **समावषित हैं:**

- राज्य द्वारा संपदाओं का अधगिरहण और संबंधित अधिकार ।
- राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना ।
- नगिमों का वलिय ।
- नगिमों के नदिशकों या शेरधरकों के अधिकारों का पुनर्रिधारण या समाप्ति ।
- खनन पट्टे का पुनर्रिधारण या उनकी समाप्ति ।

■ अनुच्छेद 31B:

- यह नौवीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नयिमों को व्यावृत्त प्रदान करता है ।
- अनुच्छेद 31B का दायरा अनुच्छेद 31A से अधिक व्यापक है । अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में सम्मलित किसी भी वधिको सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्त प्रदान करता है फरि चाहे वधि अनुच्छेद 31A में उल्लिखित पाँच श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो अथवा नहीं ।
- हालाँकि आई. आर. कोरलहो बनाम तमलिनाडु राज्य (2007) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक नरिणय में कहा कि नौवीं अनुसूची में सम्मलित वधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्त प्राप्त नहीं हो सकती । न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संवधान की मूल वशिषता है और किसी वधिको नौवीं अनुसूची के अंतर्गत रखकर इसकी यह वशिषता समाप्त नहीं की जा सकती ।
- 24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती वाद में अपने ऐतहिसिक नरिणय में संवधान के मौलिक ढाँचे के सिद्धांत को प्रतपिदति कया ।

दृष्टभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अनुच्छेद 31C से जुड़ी कानूनी और संवधानिक चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजयि?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपति की पूरवानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सेवानवृत्त किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है ।
2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनरवलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांवधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

- (a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (c) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (d) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि । (2017)

